न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद संख्या :- 38/2023

वादीगण :-

1. कानाराम पुत्र गोमाराम जाति कुम्हार निवासी तिलायचों की ढीमडी बींजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
2. शेषाराम पुत्र गोमाराम जाति कुम्हार निवासी तिलायचों की ढीमडी बींजवाडिया रोड बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. मीठूनाथ पुत्र गुलाबनाथ
2. देवाराम पुत्र सांवलनाथ
3. पप्पूनाथ पुत्र सांवलनाथ
4. बाबूनाथ पुत्र हवलनाथ जातियान नाथ निवासीगण जोगीमगरा दीवानजी की प्याउ के पास बिलाडा तहसील बिलाडा
5. सुआदास पुत्र सुमरथदास जाति नायक निवासी जोगीमगरा दीवान जी की प्याउ के पास बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भूमिधारी) बिलाडा

दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

उपस्थिति :- वादीगण - श्री गणपतलाल चौधरी, अधिवक्ता।
प्रतिवादी संख्या- 1 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।
प्रतिवादी सं. 6 - सरकारी पैरोकार।

निर्णय दिनांक :- 20/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिलाड़ा चक संख्या-4 तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 6250/17 रकबा 7 बीघा किस्म बारानी चतुर्थ आयी हुयी है। यह भूमि वादी संख्या-1 कानाराम पुत्र गोमाराम जाति कुम्हार निवासी तिलायचों की ढीमड़ी, बीजवाडिया रोड बिलाड़ा की खरीदशुदा, खातेदारी एवं कब्जा काश्त की थी। वादी संख्या-1 ने अपनी खरीदशुदा खातेदारी की उपरोक्त भूमि में से 1/2 हिस्सा को दिनांक 23.05.2017 को जरिये रजिस्ट्री वादी संख्या-2 शेषाराम को बैचान कर कब्जा वादी संख्या-2 को सौंप दिया. तब से वादी संख्या-2 का भूमि खसरा नम्बर 6250/33 रकवा 3 बीघा 10 बिस्वा पर कब्जा व काश्त चला आ रहा है। रजिस्टर्ड बैचान के आधार पर नामान्तरकरण सख्या-2319 स्वीकृत किया जाकर वादी संख्या-2 को राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में भूमि खसरा नम्बर 6250/33 रकबा 3 बीघा 10 विस्वा का खातेदार दर्ज कर दिया इस प्रकार वादीगण इस भूमि पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। वादी संख्या 1 व 2 ग्राम बिलाड़ा की आबादी सीमा के तिलायचों की ढीमडी, बींजवाड़िया रोड में निवास करते है तथा अपनी भूमि खसरा नम्बर 6250/17, 6250/33 को वर्षात के समय खेती करने हेतु जाते

है, लेकिन ग्राम बिलाड़ा के प्रतिवादीगण वादीगण का तिलायचों की ढीमड़ी में निवास करने आदि का नाजायज फायदा उठाकर इस भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए प्रतिवादीगण ने दिनांक 05.12.2015 को वादीगण के विरुद्ध शिकायत पेश की गयी कि अनुसूचित जाति के सदस्यों की भूमि हड़पने के कारण भूमि का कब्जा दिलाया जावें, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने भू अभिलेख निरीक्षक वृत्त बिलाड़ा को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया, जिसकी पालना करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक ने मौके पर जाकर जांच आदि की गयी, एवं जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से कथन किया गया कि प्रतिवादीगण/शिकायतकर्ता की शिकायत निराधार एवं बेबुनियाद है तथा अपने जांच रिपोर्ट दिनांक 04.01.2016 को तहसीलदार बिलाड़ा को प्रति प्रेषित कर दी गयी। इसी प्रकार प्रतिवादीगण ने दिनांक 12.02.2016 को वादीगण के विरुद्ध शिकायत पेश की गयी कि अनुसूचित जाति के सदस्यों की भूमि हड़पने के कारण भूमि का कब्जा दिलाया जावे, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने हल्का पटवारी को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया, जिसकी पालना करते हुए हल्का पटवारी ने दिनांक 25.02.2016 को मौके पर जाकर जांच आदि की गयी, जिसमें जांच रिपोर्ट में स्पष्ट रुप से कथन किया कि प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण कर मकान बनाना चाहते है एवं वादीगण की खातेदारी भूमि में जबरन रास्ता निकालना चाहते है, ऐसी नाजायज हरकत को वादीगण ने मौके पर नहीं करने दिया गया है। हल्का पटवारी ने अपनी जांच रिपोर्ट तहसीलदार बिलाडा को दिनांक 25.02.2016 को सुपुर्द कद दी गयी। वादीगण ने फसल की बुवाई के खेतो को तैयार करने के लिए दिनांक 12.03.2023 को अंग्रेजी बबूल के झाड़ियों को काटने के लिए गये ताकि वर्षात होने पर फसल की बुवाई की जा सके। दिनांक 12.03.2023 को वादीगण तथा वादी संख्या-2 का लड़का राजेन्द्र खसरा नम्बर 6250/17, 6250/33 के पूर्वी दिशा की ओर अंग्रेजी बबूल की झाड़ियों को काटने हेतु खेत में पहुंचे, इतने में प्रतिवादीगण एक राय होकर वादीगण को कहा कि सखेत में अंग्रेजी बबूल की झाड़ियों को कैसे काट रहे हो, जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि खेत हमारी खातेदारी का है. आपको हमारी खातेदारी भूमि पर दखलन्दाजी पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी देते हुए कहा कि हम अनुसूचित जाति के लोग है. तुम्हारे ऊपर एस.सी.एस.टी. का मुकदमा दर्ज करवा देंगे, हम तो जोगी है, जोगी किसी भी भूमि में डेरा लगा सकता है, हमें बाहर निकालने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है, और यादीगण को धमकी दी कि तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लेंगे। जिस पर वादीगण ने प्रतिवादीगण को कहा कि हमारी खरीदशुदा, रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है, इस पर आपका कोई संबंध नहीं है। इतने में प्रतिवादी संख्या-5 ने वादीगण को धमकी दी गयी की विवादग्रस्त भूमि के दक्षिण दिशा की ओर आने जाने की कोशिश की गयी तो जान से हाथ धोना पडेगा। इतने में हौहल्ला सुकर आस पड़ौस के खातेदार मौके पर आये और प्रतिवादीगण को समझाया कि आप वादीगण की खातेदारी भूमि पर नाजायज रूप से अतिक्रमण की कोई कार्यवाही नहीं करे। दावे के

कलक्टर
... अधिकारी
...लाडा

पद संख्या 1 में वर्णित भूमि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्तशुदा की है, जिसमें प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का दखल कब्जा करने का अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादीगण ने नाजायज तौर से खातेदारी अधिकारों एवं उनकी खातेदारी भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करने की धमकी दी है। इस कारण वादीगण को अपने खातेदारी अधिकारों एवं कब्जे काश्त की रक्षा के लिए यह दावा पेश करना पड़ रहा है. अगर प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी भूमि के किसी भी भाग पर दखल करने से एवं काश्त करने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति नही की जा सकती एवं प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में दखल करने से रोका जाना आवश्यक है। विवादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है जिसका उपयोग व उपभोग करने का वादीगण को पूरा अधिकार है जबकि प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त भूमि से कोई सम्बंध नही है प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का दखल करने का अधिकार नही है, फिर भी प्रतिवादीगण वादीगण को विवादग्रस्त भूमि में अतिक्रमण करने की धमकी दे रहे है। अतः प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जे काश्त में नाजायज दखल करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा नही रोका गया तो वादीगण को अपूर्णनीय हानि होगी, जिसकी पूर्ति किया जाना सम्भव नहीं होगा। वाद कारण दिनांक 12.03.2023 को प्रतिवादीगण ने वादीगण की स्वामित्वशुदा, कब्जाशुदा, खरीदशुदा खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 6250/17, 6250/33 में नाजायज तौर से प्रवेश कर दखलन्दाजी पैदा करने की धमकी देने पर बमुकाम ग्राम बिलाड़ा चक संख्या-4 तहसील बिलाड़ा में पैदा हुआ, जो निरन्तर जारी है।

अन्त में वादपत्र पेश कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वो ग्राम बिलाड़ा चक संख्या-4 तहसील बिलाड़ा में स्थित खसरा नम्बर 6250/17 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6250/33 रकबा 0.5663 हैक्टेयर में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करे तथा न ही अपने परिवार के अन्य सदस्यों, एजेण्टों से किसी प्रकार की दखल या बाधा उत्पन्न करावे । खर्चा मुकदमा वादीगण को, प्रतिवादी संख्या 1 से 5 से दिलाया जावें।

कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 5 को उपस्थित होने के पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का खण्डन नहीं होने के कारण तनकीयात की आवश्यकता नही रही इस कारण पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी मुकर्रर की गयी। वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पेश नहीं किये जाने से वादी की साक्ष्य बंद की जाती है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा यह तथ्य सामने आया कि ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नम्बर 6250/17 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6250/33 रकबा 0.5663 हैक्टेयर में वादीगण रेकर्डेड खातेदार है। विवादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी की भूमि है जिस पर काश्त करने का वादीगण को पुरा अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का वादीगण की भूमि से कोई सम्बंध नही है। विवादित मामले में रेकर्डेड खातेदार अपनी खातेदारी भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा का दावा लाने का कानूनन अधिकारी होता है। विवादित भूमि वादीगण की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई निर्णय नजीरों में प्रतिपादित किया है कि विवादित सम्पति की सुरक्षा के लिए निवारक अनुतोष के रूप में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित है। स्थायी निषेधाज्ञा का दावा केवल रेकर्डेड खातेदार ही ला सकता है। वादीगण विवादित भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। इस कारण रेकर्डेड खातेदार के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादी अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होने के कारण उनके पक्ष में मामला बनता है तथा अगर स्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की गयी तो वादी को अपूर्णनीय हानि होगी और वह खेती करने से महरूम हो जायेंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

:- आदेशः-

अतः वादीगण का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नम्बर 6250/17 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6250/33 रकबा 0.5663 हैक्टेयर में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैशलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 20/04/26 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

कानाराम — गीदूनाथ वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 38/2023

निर्णय दिनांक :- 20/01/26

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री गणपतलाल चौधरी वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी सं. 1 से 5 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी सं. 6 सरकारी पैरोकार मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो ग्राम बिलाडा चक 4 के खसरा नम्बर 6250/17 रकबा 0.5663 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6250/33 रकबा 0.5663 हैक्टेयर में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल, हस्तक्षेप करे एवं न ही अन्य किसी से करावे। पत्रावली फैशलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें।बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस फर्श के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा